न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46/2020, जिला दौसा

1. रमेश पुत्र सोहनलाल ,
2. बसन्तीलाल पुत्र सोहनलाल
3. हजारी पुत्र सोहनलाल
4. कंचनलाल पुत्र कल्याणसहाय
5. कालूराम पुत्र रामलाल
6. राजूराम पुत्र रामलाल
7. सीताराम पुत्र रामलाल
8. मुकेश पुत्र रामलाल
9. विनोद पुत्र रामलाल
10. बनवारी पुत्र गोपाल
11. गिरधारी पुत्र गोपाल
12. रामकिशोर पुत्र रमेश
13. राधेश्याम पुत्र रमेश
14. महेन्द्र पुत्र रमेश
15. बलवरी पुत्र बसन्तीलाल
16. धर्मवीर पुत्र बसन्तीलाल
17. लालचंद पुत्र कंचनलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जौपाडा, तहसील दौसा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. जिला कलेक्टर दौसा।
3. ग्राम पंचायत जौपाडा तहसील दौसा जरिये सचिव ग्राम पंचायत जौपाडा, तहसील दौसा जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 09.06.2017 जिसके तहत ग्राम जौपाडा तहसील दौसा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 51/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि अनाज भंडार एवं अन्य जनउपयोगी कार्य हेतु आंवटित की गयी है।

उपस्थित–

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट नं. 1 व 2 की ओर से
3. रेस्पोंडेण्ट नं. 3 बाद तामिल अनुपस्थितं

निर्णय

दिनांक –13.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 9.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 52/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि अनाज भण्डार एवं अन्य जनपयोगी कार्यों हेतु ग्राम पंचायत जौपाडा पं.सं. दौसा को आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जौपाडा पं.स. दौसा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 9.2.2015 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गयी। शासन सचिव, ग्रामीण

Scanned with OKEN Scanner

विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायत जौपाडा पं.स. दौसा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा व उपखण्ड अधिकारी दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम जौपाडा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 51/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुसरण चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार एवं अन्य जनपयोगी कार्यों हेत भवन निर्माणार्थ (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत जौपाडा पं.सं. दौसा) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के तहत आंवटित करने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 9.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रमेश पुत्र सोहनलाल वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.6.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं। अपीलान्ट के पास रहवास की कोई भूमि नहीं है। अपीलान्ट को रहवास हेतु भूमि देने के लिये ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर भेजा था जिस पर तहसीलदार व उप जिला कलेक्टर ने सभी बातों को सही मानकर पूर्ण अनुशंषा की थी। तहसीलदार व उप जिला कलेक्टर ने गांवों में पशुओं के लिये पर्याप्त भूमि मानकर अनुशंषा की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को दिनांक 13.04.2015 को सेटअपार्ट नहीं करके एवं प्रस्ताव खारिज करने में कानूनी गलती की थी और उक्त निर्णय की अपील करने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील के यहॉ अपील की जहॉ से स्थगन चल रहा था और जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 13.04.2015 व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल में अपील चल रही थी और वहॉ से स्थगन चल रहा था और उक्त स्थगन की अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को यह भली भांति जानकारी थी कि उक्त भूमि विवादित है और उक्त भूमि बाबत स्थगन चला रहा है और स्थगन चलने की वजह से उक्त भूमि को अनाज भंडार हेतु आंवटन किया जाना विधि सम्मत नहीं मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8.9.2016 एवं दिनांक 7.10.2016 एवं दिनांक 21.11.2016 को उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं तहसीलदार दौसा को पत्र लिखे गये है और जिन पत्रों में स्पष्ट लिखा है कि उक्त भूमि के स्थान पर अन्य जगह का प्रस्ताव तैयार कर अपनी स्पष्ट टिप्पणी राय भिजवाये किन्तु उक्त पत्रों का कोई जवाब आये बिना ही तथा माननीय राजस्व मंडल का दिनांक 8.6.2017 को स्थगन आदेश पेश करने के बाद जल्दबाजी में दिनांक 9.6.2017 को उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2017 को पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 27.10.2017 को मिली तब उक्त बसन्तीलाल ने समस्त अपीलान्ट को बताया तब उक्त निर्णय दिनांक 9.6.2017 की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। उपरोक्त कारणवश अपील पेश करने में देरी हुई है जिसको श्रीमान के द्वारा क्षमा फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्दर मियाद शुमार किया जावे। ग्राम पंचायत जौपाडा ने अपने ग्राम सभा की बैठक दिनांक 6.2.2012 के प्रस्ताव नंबर 13 में लिये गये प्रस्ताव भूमि खसरा नं. 51/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.50 है0 भूमि आबादी में सेटअपार्ट करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया और उक्त प्रस्ताव लेने के बाद सेटअपार्ट की भूमि में अपीलान्ट को भूमि देने के प्रस्ताव व सूची के आधार पर तहसीलदार दौसा ने अपनी संपूर्ण रिपोर्ट करके और उक्त प्रस्ताव को उप जिला कलेक्टर दौसा ने संपूर्ण पत्रावली अपनी टिप्पणी के साथ जिला कलेक्टर दौसा को भिजवायी और आबादी में सेटअपार्ट करने की अनुशंषा की व तहसीलदार ने अपनी चैक लिस्ट बनाकर पेश की तथा अन्य खाना पूर्ति कर पूरी की गयी और नक्शा भी पेश किया गया तथा जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त भूमि को सेट अपार्ट करने हेतु राजस्थान सरकार से स्वीकृति प्राप्त की उक्त सम्पूर्ण खानापूर्ति पूर्ण होने के बावजूद भी व तहसीलदार व उपजिला कलेक्टर व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार पशुओं की संख्या के हिसाब से गॉव जौपाडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 13.04.2015 को उक्त खसरा नंबर 51/2 ग्राम जौपाडा मे से 0.50 है0 भूमि को आबादी हेतु सेटअपार्ट करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त विवादित भूमि को दिनांक 09.06.2017 को बिना स्थगन आदेश को देखे बिना व बिना पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना उक्त भूमि खसरा नम्बर 51/2 रकबा 11.42 है0 में से 040 है0 भूमि चरागाह से खारिज कर अनाज भण्डार एवं जनउपयोगी कार्य हेतु जरिये सचिव ग्राम पंचायत जौपाडा आंवटित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। जिसकी श्रीमान के समक्ष अपील पेश करना चाहते हैं। जिसकी श्रीमान के द्वारा इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 09.06.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 52/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि अनाज भण्डार एवं अन्य जनपयोगी कार्यों हेतु ग्राम पंचायत जौपाडा पं.सं. दौसा को आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जौपाडा पं.स. दौसा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 9.2.2015 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गयी। शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायत जौपाडा पं.स. दौसा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा व उपखण्ड अधिकारी दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम जौपाडा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 51/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुसरण चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार एवं अन्य जनपयोगी कार्यों हेत भवन निर्माणार्थ (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत जौपाडा पं.सं. दौसा) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के तहत आंवटित करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Scanned with OKEN Scanner

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर दौसा ने शासन सवित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देश, ग्राम पंचायत जौपाडा पं0स0 दौसा की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा व उपखण्ड अधिकारी दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम जौपाडा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 52/2 रकबा 11.42 है0 में से 0.40 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथा संशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर अनाज भण्डार एवं जनपयोगी भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणर्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के तहत आंवटित की गयी है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा नवीन आवंटन आदेश पर स्थगन आदेश नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 09.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर